



2286710  
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण  
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001  
website—www.sudaup.org  
e-mail : pmusuda@gmail.com  
sudauplk@yahoo.com  
दिनांक— 23/7/14

पत्रांक—1406/64/दस/2012-IV

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

विषय— शहरी गरीबों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मण्डिन बस्तियों में “आसरा योजना”  
में आवासों का निर्माण एवं आवंटन संबंधी दिशानिर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मण्डिन बस्तियों में कम लागत के रिहायशी मकान चयनित पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा की तंगी के समाधान हेतु उनके जीवन स्तर में बदलाव और सामाजिक परिवेश में सुधार हेतु “आसरा योजना” प्रारम्भ की गयी है। योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या—33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16.01.2013 जो आपको भी सम्बोधित है, के द्वारा दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या—10 के अनुसार “आसरा योजना के अंतर्गत भवनों के क्षेत्र में अवस्थापना कार्य यथा—सम्भव निकायों द्वारा मात्राकृत 25 प्रतिशत बजट से कराये जायेंगे तथा अनुरक्षण भी संबंधित निकायों द्वारा ही कराया जायेगा,” के निर्देश है। अतः परियोजना अंतर्गत अवस्थापना कार्य निकायों द्वारा मात्राकृत 25 प्रतिशत बजट से तथा अनुरक्षण भी संबंधित निकाय द्वारा कराया जाना सुनिश्चित् करवाने का कष्ट करें।

उपरोक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि भविष्य में प्रेषित की जाने वाली संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिद/नगर पंचायत की डी०पी०आर० में उक्त शासनादेश के अनुपालन में अवस्थापना सुविधा मात्राकृत 25 प्रतिशत बजट से एवं अनुरक्षण कराये जाने के संबंध में डी०पी०आर० में संबंधित निकाय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर अवश्य संलग्न किया जाय। यदि संबंधित निकाय द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन में परियोजनान्तर्गत मात्राकृत 25 प्रतिशत बजट से अवस्थापना कार्य एवं अनुरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो ऐसे संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही हेतु भी आख्या उपलब्ध कराने का कृत करें।

मवदीय,  
20/7/2014  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।
5. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

श्रीप्रकाश सिंह  
निदेशक